सत्यमेव जयते

**असंशोधित**

# बिहार विधान–सभा वादवृत्त

## सरकारी प्रतिवेदन

## 03 दिसम्बर, 2025

**बिहार विधान सभा सचिवालय,**
**पटना ।**

अष्टादश विधान सभा          बुधवार, तिथि 03 दिसम्बर, 2025 ई0
प्रथम सत्र          12 अग्रहायण, 1947 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

माननीय सदस्यगण, मैं इस सदन को यह औपचारिक सूचना देना चाहता हूँ कि संवैधानिक प्रावधान के तहत विधान सभा के सामान्य निर्वाचन के उपरांत प्रथम सत्र के आरंभ में विधान सभा और विधान परिषद् वाले राज्य में एक साथ समवेत दोनों सदनों में माननीय राज्यपाल का अभिभाषण होता है । इसी प्रावधान के तहत बिहार विधान मंडल के दोनों सदस्यों के सहसमवेत उपस्थिति में अब से कुछ देर बाद यानी 11:30 बजे विस्तारित भवन में सेन्ट्रल हॉल में माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा ।

संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल का अभिभाषण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार अपनी नीतिगत दिशा, आगामी वर्ष के कार्यक्रम तथा लोक–कल्याण के प्राथमिक उद्देश्यों को विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत करती है ।

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे निर्धारित समय से पूर्व सेन्ट्रल हॉल में उपस्थित होकर इस गरिमामय परंपरा को सफल एवं शालीन ढंग से सम्पन्न करने में सहयोग दें । यह भी अपेक्षित है कि इस अभिभाषण के दौरान सदन के सदस्य संसदीय मर्यादा, शिष्टाचार और अनुशासन का पूर्ण पालन करेंगे ।

राज्यपाल का यह अभिभाषण नई विधान मंडल की कार्यवाही का प्रारंभिक दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से आने वाले वर्ष की दिशा और नीति के संकेत मिलते हैं । अतः माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अभिभाषण में उल्लिखित विषयों का गंभीरता से अवलोकन करें और आगामी कार्यवाही में रचनात्मक सहभागिता दें ।

माननीय सदस्यगण, अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करने और उन्हें सेन्ट्रल हॉल तक लाने के लिए विस्तारित भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर जाऊंगा । माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग भी इस हेतु निर्धारित स्थल पर आएंगे । इस बीच आप सभी माननीय सदस्य चल कर सेन्ट्रल हॉल में अपना–अपना स्थान ग्रहण करेंगे ।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के पश्चात् पुनः इस सभा वेश्म में आज के निर्धारित शेष कार्य होंगे ।

अतः आप सभी माननीय सदस्यगण अभिभाषण समाप्त होने के तत्काल बाद सेन्ट्रल हॉल से आकर इस सदन में अपना–अपना स्थान पुनः ग्रहण कर लेंगे । अब आगे की कार्यवाही सेन्ट्रल हॉल में होगी ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय महामहिम राज्यपाल महोदय को लाने हेतु सदन से बाहर गये)

(महामहिम राज्यपाल महोदय का सेन्ट्रल हॉल में आगमन)

(राष्ट्रगान)

(इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा एवं माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् द्वारा आसन ग्रहण किया गया)

सभा सचिव : महामहिम राज्यपाल महोदय, बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण यहां एकत्रित हैं । अतएव आपसे अनुरोध है कि अभिभाषण देने की कृपा की जाय ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन
बिहार विधान-मंडल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत
अधिवेशन में
बिहार के माननीय राज्यपाल

# श्री आरिफ मोहम्मद खां

## का

# अभिभाषण

3 दिसम्बर, 2025

**बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यगण,**

मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ तथा हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं राज्य की खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की कामना करता हूँ। साथ ही मैं विधान सभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई भी देता हूँ। मुझे विश्वास है कि नव गठित बिहार विधान सभा का कार्यकाल बिहार को विकसित बनाने एवं जन–जन तक खुशहाली लाने में अपनी रचनात्मक भूमिका निभायेगा।

अभी हमारे यहाँ शांतिपूर्ण, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। राज्य की जनता ने विकास के एजेंडे को स्वीकार करते हुए सरकार को व्यापक समर्थन दिया है। इस चुनाव में बिहार के लोगों ने विशेषकर महिलाओं ने अभूतपूर्व मतदान किया है। मैं सभी मतदाताओं को इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बधाई देता हूँ एवं इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन में संलग्न सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को भी धन्यवाद देता हूँ। विकास के प्रति राज्य के सभी वर्गों में विशेषकर महिलाओं एवं युवाओं में विशेष जागरूकता दिखाई दे रही है। सरकार द्वारा राज्य के विकास के लिए किये जा रहे प्रयासों के लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है।

24 नवम्बर, 2005 को नई सरकार बनने के बाद राज्य में कानून का राज है तथा लगातार विकास का काम हो रहा है। राज्य सरकार ने हमेशा सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है, जिसका अर्थ है सभी क्षेत्रों का विकास एवं सभी वर्गों का उत्थान। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पेयजल आदि क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया है। अब किसी तरह के डर एवं भय का वातावरण नहीं है तथा राज्य में प्रेम, भाईचारे एवं शांति का माहौल है।

राज्य में कानून का राज बनाये रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि–व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। 24 नवम्बर, 2005 को नई सरकार बनने से पहले बिहार पुलिस में मात्र 42 हजार 481 पुलिसकर्मी कार्यरत थे। वर्ष 2006 से कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए पुलिस बल की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी की गयी। अब राज्य में पुलिस बल की संख्या बढ़कर लगभग 1 लाख 26 हजार हो गयी है। महिला पुलिस बल की संख्या में भी काफी वृद्धि हुयी है तथा आज बिहार में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2023 में पुलिस बल की संख्या को बढ़ाकर 2 लाख 29 हजार तय किया गया, जिस पर तेजी से नियुक्ति की जा रही है।

विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में बड़ी संख्या में नये थानों की स्थापना की गयी है। पहले राज्य में कुल 814 थाने थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 1 हजार 380 हो गयी है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए **डायल–112** की इमरजेंसी सेवा प्रारंभ की गयी है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति जैसे – अपराध की घटना, आग लगने की घटना, वाहन दुर्घटना की स्थिति में या महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित स्थिति में बिहार के किसी भी कोने से कोई भी पीड़ित व्यक्ति सहायता के लिए 112 नंबर पर निःशुल्क कॉल कर सकता है। पहले यह व्यवस्था जिला मुख्यालयों एवं शहरी क्षेत्रों में लागू थी तथा अब इसका विस्तार पूरे राज्य में किया गया है।

राज्य में सामाजिक सौहार्द्र एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी की योजना शुरू की गयी है, जिसमें राज्य के मिली–जुली आबादी के इलाकों वाले एवं अन्य संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा रही है। पहले 8 हजार से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है तथा बाद में 1 हजार 273 कब्रिस्तानों को और चिन्हित किया गया है। इनमें से 746 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण हो गयी है तथा शेष कब्रिस्तानों की घेराबंदी शीघ्र ही पूरी हो जायेगी।

इसी तरह से वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिन्दू मंदिरों की घेराबंदी भी की गयी है जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं। अब समाज में शांति एवं सद्भाव का वातावरण है।

राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। बड़ी संख्या में नये स्कूल खोले गये हैं। विद्यालयों में एक ओर जहाँ पोशाक, साईकिल, छात्रवृत्ति एवं अन्य कई योजनाएँ लागू की गई, वहीं दूसरी ओर नये विद्यालय भवन, क्लास रूम, शौचालय एवं चहारदिवारी आदि बनाकर विद्यालयों की आधारभूत संरचना को मजबूत किया गया है। बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गये हैं।

शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गयी है। वर्ष 2023 से बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षकों की बहाली की जा रही है। पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5 लाख 20 हजार हो गयी है।

राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए इसमें व्यापक सुधार किया गया है। शुरूआत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में इलाज कराने के लिये प्रतिमाह मात्र 39 मरीज ही आते थे। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हर महीने औसतन 11 हजार 600 मरीज आते हैं। राज्य में बहुत पहले से ही केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थे, जबकि आज 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कार्यरत हैं एवं शेष सभी 27 जिलों में नये मेडिकल कॉलेज बनाये जा रहे हैं, जिन्हें शीघ्र पूरा किया जायेगा। साथ ही पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5 हजार 400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेजों को 2 हजार 500 बेड के अस्पताल के रूप में बनाया जा रहा है। **IGIMS** (Indira Gandhi Institute of Medical Sciences) को 3 हजार बेड के अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

अब हर जिले में इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक की पढ़ाई हो रही है। राज्य में अनेक संस्थानों की स्थापना की गयी है, जिसमें कई राष्ट्रीय स्तर के संस्थान शामिल हैं। यहाँ के छात्रों को अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि अन्य राज्यों से छात्र यहाँ आकर पढ़ाई कर रहे हैं।

राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों तथा पुल–पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में राजधानी पटना पहुँचने का लक्ष्य वर्ष 2016 में ही पूरा कर लिया गया था। अब राज्य में बड़े पैमाने पर नई सड़कों, पुल–पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, एलिवेडेट रोड एवं बाईपास का निर्माण तथा पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है, जिससे लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से राजधानी पटना पहुँचना संभव हुआ है। इसे और बेहतर करने का प्रयास जारी है। अब राज्य में 5 नये एक्सप्रेस–वे का निर्माण भी किया जायेगा। इससे राज्य के सुदूर क्षेत्रों से राजधानी पटना पहुँचने में और कम समय लगेगा। साथ ही प्रखंड मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कों का चौड़ीकरण किया जायेगा।

सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इन संस्थाओं के अब तक 4 चुनाव हो चुके हैं। वर्ष 2013 से पुलिस में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया तथा वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।

पहले बिहार में स्वयं सहायता समूहों की संख्या काफी कम थी। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, जिसे "जीविका" नाम दिया गया। अब स्वयं सहायता समूहों की संख्या लगभग 11 लाख हो गयी है, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो गयी है। वर्ष 2024

से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूहों का गठन हो रहा है, जिनकी संख्या 41 हजार से भी अधिक हो गयी है तथा इनमें 4 लाख 34 हजार से भी अधिक जीविका दीदियाँ हैं। यह काम तेजी से जारी है।

वर्तमान में महिलाओं के लिए एक नयी योजना "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना" चल रही है, जिसके तहत हर घर की एक महिला को रोजगार के लिए 10 हजार रुपये की दर से राशि दी जा रही है। अब तक 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है, शीघ्र ही शेष महिलाओं को राशि दे दी जायेगी। इन महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जायेगी।

सरकार ने शुरू से ही सभी वर्गों के लोगों के लिए काम किया है चाहे हिन्दू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो – सभी के लिए काम किया गया है। वंचित वर्गों के लोगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा इन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष योजनाएँ चलाई गयी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है तथा बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का निर्माण कराया गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 से अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना तथा वर्ष 2018 से ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा कमजोर वर्गों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लागू की गयी है। नवम्बर, 2023 से इसका विस्तार करते हुये प्रखण्डों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना लागू की गयी है।

इसी तरह राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काफी काम किया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं के लिए विद्यालय एवं छात्रावास, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग तथा छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं संचालित हैं। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए वर्ष 2006–07 से ही आर्थिक सहायता दी जा रही है। वर्ष 2018 से सहायता राशि को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है। मुस्लिम समुदाय के मदरसों को सरकारी मान्यता दी गयी है एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। पटना में अंजुमन इस्लामिया भवन का भव्य एवं आकर्षक रूप से पुनर्निर्माण कराया गया है।

सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। इससे 1 करोड़ 14 लाख से अधिक लोगों को फायदा हो रहा है।

वर्ष 2008 से ही राज्य में कृषि रोड मैप बनाकर कृषि विकास कार्यक्रम चलाये गये, जिससे फसलों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई। राज्य में धान, गेहूँ एवं मक्का की उत्पादकता पहले के मुकाबले लगभग दोगुनी हो गयी है। साथ ही दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन में काफी वृद्धि हुयी है। मछली का उत्पादन ढाई गुने से भी अधिक हो गया है, जिससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है, जिसमें कृषि क्षेत्र के विकास हेतु लगभग 1 लाख 62 हजार 268 करोड़ रुपये की योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है। साथ ही किसानों की सुविधा के लिए राज्य के 21 बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण एवं विकास के लिए कुल 1 हजार 289 करोड़ रुपये की लागत से योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

वर्ष 2015 में सात निश्चय के तहत (1) आर्थिक हल–युवाओं को बल (2) आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार (3) हर घर तक बिजली (4) हर घर नल का जल (5) हर घर शौचालय (6) टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने तथा (7) अवसर बढ़े–आगे पढ़ें का काम किया गया है। वर्ष 2018 में ही हर घर तक बिजली पहुँचा दी गयी। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गयी। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर पैनल लगाये जायेंगे।

वर्ष 2020 से सात निश्चय–2 के तहत (1) युवा शक्ति–बिहार की प्रगति (2) सशक्त महिला–सक्षम महिला (3) हर खेत तक सिंचाई का पानी (4) स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव (सोलर स्ट्रीट लाईट) (5) स्वच्छ शहर–विकसित शहर (6) सुलभ सम्पर्कता तथा (7) सबके लिये स्वास्थ्य सुविधा (टेलीमेडिसिन एवं बाल हृदय योजना) सभी पर काफी काम हुआ है और जो भी काम बचे हैं वे शीघ्र पूरे हो जायेंगे।

शुरू से ही सरकार का प्रयास रहा है कि युवाओं को ज्यादा–से–ज्यादा नौकरी एवं रोजगार के अवसर मिले। वर्ष 2020 में 7 निश्चय–2 के तहत ही युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देना तय किया गया। अब तक लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी तथा 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दे दिया गया है। अब अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर अब तेजी से काम किया जायेगा।

विकास कार्यों में जो कमी रह गयी, उसे पूरा करने के लिए वर्ष 2024 के दिसम्बर एवं 2025 के जनवरी–फरवरी माह में प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों के लिए कुल 430 नयी योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है। इन सभी योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है तथा इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा लिया जायेगा।

बिहार के विकास में केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई, 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन एवं बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गयी। फरवरी, 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गयी है। वर्ष 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ जो गौरव की बात है।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कई बार बिहार आगमन हुआ है तथा उन्होंने बिहार में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिन पर अब तेजी से काम हो रहा है। इन सब कामों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देते हुये उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं।

मेरे द्वारा संक्षेप में आपके समक्ष रखी गयी सरकार की उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि सरकार न्याय के साथ विकास के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के उत्थान के लिए सतत् प्रयत्नशील है।

अब राज्य में हर क्षेत्र के विकास एवं हर तबके के उत्थान के लिए नये कार्यक्रमों का भी निर्धारण किया गया है। 24 नवम्बर, 2005 को नई सरकार बनने के बाद 20 वर्षों में काफी ज्यादा काम हुआ है। अब इसे आगे बढ़ाया जायेगा तथा अगले 5 वर्षों में बिहार के विकास के लिए और ज्यादा काम होगा जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मुझे भरोसा है कि सभी सदस्य जिम्मेदारी के साथ सत्र के संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुझे धैर्य से एवं ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद।

**जय हिन्द।**

बि०स०मु० (संसदीय), 3–मो०जी०–800+10

टर्न–2 / अंजली / 03.12.2025

(माननीय राज्यपाल के अभिभाषण की समाप्ति के पश्चात् पुनः सभा वेश्म में कार्यवाही)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–2 के तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को सदन नेता के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है ।

बिहार विधान सभा के माननीय सदस्य, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को नेता विरोधी दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है ।

अध्यासी सदस्यों का मनोनयन

माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–12(1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को अष्टादश बिहार विधान सभा के प्रथम सत्र के लिए अध्यासी सदस्य मनोनीत करता हूँः–

| | | |
|---|---|---|
| श्री राम नारायण मंडल | – | स॰वि॰स॰ |
| श्री रत्नेश सादा | – | स॰वि॰स॰ |
| श्री भाई वीरेन्द्र | – | स॰वि॰स॰ |
| मो0 कमरूल होदा | – | स॰वि॰स॰ |
| श्रीमती ज्योति देवी | – | स॰वि॰स॰ |

समितियों का गठन

कार्य–मंत्रणा समिति का गठन

माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–219 (1) के अधीन मैं अष्टादश बिहार विधान सभा के प्रथम सत्र के लिए कार्य–मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूँः–

| | | |
|---|---|---|
| अध्यक्ष, | बिहार विधान सभा | सभापति |
| श्री नीतीश कुमार, | मुख्यमंत्री | सदस्य |
| श्री सम्राट चौधरी, | उप मुख्यमंत्री | सदस्य |
| श्री विजय कुमार सिन्हा, | उप मुख्यमंत्री | सदस्य |
| श्री विजय कुमार चौधरी, | मंत्री, संसदीय कार्य | सदस्य |
| श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, | मंत्री, ऊर्जा | सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, | नेता, विरोधी दल | सदस्य |
| श्री राजू तिवारी, | स॰वि॰स॰ | सदस्य |

विशेष आमंत्रित सदस्य

| | | |
|---|---|---|
| उपाध्यक्ष | – | बिहार विधान सभा |
| श्री श्रवण कुमार | – | स॰वि॰स॰ |
| श्री विनोद नारायण झा | – | स॰वि॰स॰ |
| श्री मनोहर प्रसाद सिंह | – | स॰वि॰स॰ |
| श्री अखतरूल ईमान | – | स॰वि॰स॰ |
| श्री प्रफ्फुल कुमार मांझी | – | स॰वि॰स॰ |
| श्रीमती स्नेहलता | – | स॰वि॰स॰ |
| श्री अरूण सिंह | – | स॰वि॰स॰ |
| श्री अजय कुमार | – | स॰वि॰स॰ |
| श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता | – | स॰वि॰स॰ |
| श्री सतीश कुमार सिंह यादव | – | स॰वि॰स॰ |

नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत संविधान के अनुच्छेद–213 के खंड (2) (क) के अनुसार बिहार विधान सभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार आकस्मिकता निधि संशोधन अध्यादेश, 2025 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारत संविधान के अनुच्छेद–213 के खंड (2) (क) के अनुसार बिहार विधान सभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

सभा सचिव : महोदय, सप्तदश बिहार विधान सभा के पंचदश सत्र में उद्‌भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित निम्न 11 (ग्यारह) विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखती हूँ जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद–200 के तहत् अनुमति प्रदान की गई है :–

## महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण

| क्रमांक | विधेयक का नाम | अनुमति की तिथि |
|---|---|---|
| 1. | बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2025 | 05.08.2025 |
| 2. | बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, 2025 | 06.08.2025 |
| 3. | बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2025 | 06.08.2025 |
| 4. | बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, 2025 | 06.08.2025 |
| 5. | बिहार भूमिगत पाइप लाइन (भूमि में उपयोग–कर्ता के अधिकार का अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2025 | 06.08.2025 |
| 6. | बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 | 07.08.2025 |
| 7. | बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) विधेयक, 2025 | 07.08.2025 |
| 8. | बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) विधेयक, 2025 | 07.08.2025 |
| 9. | बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025 | 09.08.2025 |
| 10. | बिहार पशु प्रजनन विनियमन विधेयक, 2025 | 09.08.2025 |
| 11. | जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 | 14.08.2025 |

## सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, संविधान के अनुच्छेद–205 के अनुसरण में बिहार विनियोग (संख्या–2) अधिनियम, 2025 बिहार विनियोग (संख्या–3) अधिनियम, 2025 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावे वर्ष 2025–26 में जो खर्च होने की संभावना है उसके संबंध में, मैं द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, गृह विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार अग्निशमन अधिनियम, 2014 की धारा–64 के तहत बिहार अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 की हिंदी एवं अंग्रेजी की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : बिहार अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 की हिंदी एवं अंग्रेजी की प्रति चौदह दिनों तक सभा पटल पर रखी रहेगी ।

प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार अमीन संवर्ग नियमावली, 2025 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 की धारा–8 (3) के तहत बिहार विधान मंडल

(सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2025 की हिंदी एवं अंग्रेजी की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 की धारा–8 (3) के तहत बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2025 की हिंदी एवं अंग्रेजी की प्रति चौदह दिनों तक सदन पटल पर रखी रहेगी ।

प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सिनेट की सदस्यता के लिए बिहार विधान सभा के दस–दस सदस्यों (जिनमें एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति एवं तीन अन्य पिछड़े वर्ग के हों), कृषि विश्वविद्यालयों के लिए सात–सात सदस्यों, बिहार राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड के लिए दो सदस्यों, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद् के लिए तीन सदस्यों, बिहार भूमि आयोग के लिए पांच सदस्यों, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड एवं बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के लिए दो–दो सदस्यों तथा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत राज्य स्तरीय समन्वयक समिति के लिए दो सदस्यों का जो निर्वाचन होना है, उन नियमों को शिथिल करते हुए यह सदन अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को उन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए प्राधिकृत करे ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सिनेट की सदस्यता के लिए बिहार विधान सभा के दस–दस सदस्यों (जिनमें एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति एवं तीन अन्य पिछड़े वर्ग के हों), कृषि विश्वविद्यालयों के लिए सात–सात सदस्यों, बिहार राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड के लिए दो सदस्यों, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद् के लिए तीन सदस्यों, बिहार भूमि आयोग के लिए पांच सदस्यों, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड एवं बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के लिए दो–दो सदस्यों तथा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत राज्य स्तरीय समन्वयक समिति के लिए दो सदस्यों का जो निर्वाचन होना है, उनके नियमों को शिथिल करते हुए यह सदन अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को उन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए प्राधिकृत करे ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टर्न–3 / पुलकित / 03.12.2025

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं The Bihar Industrial Area Development Authority (Financial Service And Technical) Regulation 2007; The IDA (Financial, Service and Technical) Regulations 2007; बिहार उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग नियमावली 2015; जिला उद्योग केन्द्र आशुलिपिक संवर्ग नियमावली 2007; बिहार उद्योग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2007; बिहार उद्योग सेवा संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2013; बिहार रेशम तकनीकी अधीनस्थ संवर्ग नियमावली 2015; बिहार उद्योग (हस्तकरघा एवं रेशम) क्षेत्रीय लिपिक (भर्ती एवं सेवा शर्त), नियमावली 2015; बिहार हस्तकरघा तकनीकी अधीनस्थ संवर्ग नियमावली, 2015 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

<u>शोक प्रकाश</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्त्तव्य है :–

<u>स्वर्गीय श्रीचन्द्र सिंह</u>

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री श्रीचन्द्र सिंह का निधन दिनांक–27 जुलाई, 2025 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 83 वर्ष की थी ।

स्व0 सिंह गयाजी जिला के इमामगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980 एवं 1985 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

<u>स्वर्गीय शिबू सोरेन</u>

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री शिबू सोरेन का निधन दिनांक–04 अगस्त, 2025 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 81 वर्ष की थी ।

स्व0 सोरेन संयुक्त बिहार के जामा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे दुमका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8 बार लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे एवं 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे । वे केन्द्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री एवं

झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे । वे लोगों के बीच दिशोम गुरू जी के नाम से प्रसिद्ध थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

## स्वर्गीय सत्यपाल मलिक

बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक का निधन दिनांक–05 अगस्त, 2025 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 79 वर्ष की थी ।

स्व0 मलिक 4 अक्टूबर, 2017 से 22 अगस्त, 2018 तक बिहार के राज्यपाल पद पर रहे थे । वे लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे । वे मिलनसार व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

## स्वर्गीय हरिनन्दन यादव

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री हरिनन्दन यादव का निधन दिनांक–06 सितम्बर, 2025 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 76 वर्ष की थी ।

स्व0 यादव दरभंगा जिला के हायाघाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1995, मार्च, 2025 एवं नवंबर, 2005 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे कर्मठ एवं मिलनसार व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी है ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

## स्वर्गीय राणा गंगेश्वर सिंह

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री राणा गंगेश्वर सिंह का निधन दिनांक–26 अक्टूबर, 2025 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 74 वर्ष की थी ।

स्व0 सिंह समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2010 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे वर्ष 2014 में बिहार विधान परिषद् के सदस्य भी मनोनीत हुए थे । वे लोकप्रिय व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

अध्यक्ष : अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें ।

(एक मिनट का मौन)

कृपया बैठ जाए । मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भिजवा दूंगा ।

अब सभा की बैठक, वृहस्पतिवार, दिनांक– 04 दिसम्बर, 2025 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।